विषय:— निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केसों का शीघ्र निपटान ।

क्या वित्तायुक्त (राजस्व) तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव कृपया उपरोक्त विषय पर सरकारी अनुदेश अश: क्रमांक 33/16/1 जी: एस: –1–78 दिनांक 20–12–78 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. उनसे अनुरोध है कि वे :–

(1) उन अधिकारियों के नामों की सूचना जो उन्होंने संदर्भित अनुदेशों के तहत नामांकित किए हैं इस विभाग को शीघ्र भेजें ।

(2) निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना हर मास की 7 तारीख को संलगन प्रोफार्मा में मुखय मन्त्री के प्रधान सचिव तथा मुख्य सचिव को भेजें ।

(3) नामांकित अधिकारियों को यह निर्देश देवें कि वे सभी निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों के केस मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव से हर मास डिसकस करें और उन्हें मिलने से पूर्व उनकी सुविधा अनुसार समय पहले लें ।

हस्ता/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुखय सचिव, हरियाणा सरकार ।

(नाम से)
सेवा में

वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव ।

अश: क्रमांक 33/16/78–1 जी:एस:–1–78, दिनांक चण्डीगढ़ 8 जनवरी, 1979